



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



क्रमांक : मा.शि.बो./गोप./सी. सैक./2020/182-223

दिनांक : 15/01/2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (मुख्यालय)
(राजस्थान)

प्रायोगिक परीक्षा-2020
परीक्षा आवश्यक

महोदय/महोदया,

लेख है कि बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु वर्ष 2020 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन बाबत निम्न निर्देश/जानकारी प्रेषित हैं :-

1. IT & Prog. (03) व गृह विज्ञान (18) की प्रायोगिक परीक्षाएँ बोर्ड अधिवेशन दिनांक 08.05.2015 के निर्णय संख्या 24 के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा करवाई जानी है। इस हेतु विद्यालयों के युग्म (बैच) बनाकर बोर्ड द्वारा आपको यथासमय प्रेषित किये जायेंगे, जिसमें परीक्षक संख्या, विद्यालय, विद्यालय का नाम, परीक्षार्थियों की संख्या आदि अंकित रहेगी। प्रत्येक बैच के लिये एक परीक्षक आपके स्तर पर नियुक्त किया जाना है। कृपया बोर्ड द्वारा बनाये गये बैच एवं जिस बैच में जो विद्यालय आवंटित किये गये हैं, उन्हीं के अनुसार परीक्षाएँ सम्पादित करवाई जावे। इनमें आपके स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे।

उक्त दोनों विषयों में परीक्षक नियुक्तियाँ आपके स्तर पर की जानी हैं। उक्त के अलावा शेष सभी विषयों में नियुक्तियाँ बोर्ड द्वारा की जायेगी। परीक्षक नियुक्ति हेतु प्रथमतः शाला दर्पण पर पंजीकृत राजकीय शिक्षकों को, इसके पश्चात् सेवारत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों/व्याख्याताओं, कॉलेज शिक्षा, सेवानिवृत्त स्कूल/कॉलेज शिक्षा के शिक्षकों को नियुक्त किया जावे।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के सुझावानुसार/परीक्षा समिति के निर्णयानुसार कम्प्यूटर शिक्षा में शाला दर्पण पर पंजीकृत राजकीय शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत आपके अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों में M.Tech./C-Level/B.E./M.C.A./B.Level/M.Sc./B.Tech./B.Sc./A-Level/ PGDCA/ BCA डिग्रीधारी शिक्षक उपलब्ध है, चाहे उनकी नियुक्ति अन्य विषय में हो अथवा अन्य विषयों का अध्यापन करवा रहें तृतीय श्रेणी/उच्चस्तर के शिक्षकों को कम्प्यूटर विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा लेने हेतु नियुक्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला सहायक/सेवक मंत्रालयिक पदधारक को नियुक्त नहीं किया जावे। इसके अतिरिक्त कमी होने पर जिले के राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय तथा पोलोटैक्निक महाविद्यालय/अन्य व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा संस्थान में नियमित रूप से कार्यरत व्याख्याताओं को भी कार्य आवंटन किया जा सकता है।

यदि परीक्षकों की न्यूनता हो तो एक परीक्षक को दो बैच भी आवंटित किये जा सकेंगे। विशेष स्थिति में इसके पश्चात् भी कमी रहने पर स्वविवेक से परिस्थिति अनुसार अधिक बैच आवंटन का निर्णय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर लिया जा सकेगा यदि किसी परीक्षक को एक से अधिक युग्म (बैच) आवंटित किये जाते हैं तो उन्हें निर्देश दिये जावे कि प्रत्येक बैच के लिये बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षक क्रमांक के अनुसार अलग-अलग परीक्षाएँ आयोजित करवाकर अलग-अलग अंक भेजें। नियुक्त परीक्षकों को बोर्ड द्वारा नियमानुसार भुगतान देय होगा।

2. इस वर्ष बोर्ड अधिवेशन के निर्णयानुसार परीक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर यानि जिले में ही की जानी है, परन्तु किसी भी परीक्षक को उसी विद्यालय में जहाँ वह कार्यरत है वहाँ नियुक्त नहीं किया जावे। यथा सम्भव स्थान परिवर्तित किये जावे।
3. उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएँ 15 जनवरी से 14 फरवरी, 2020 तक तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएँ 11 फरवरी से 14 फरवरी 2020 के मध्य दो पारियों में होगी। प्रथम पारी प्रातः 9:30 बजे व द्वितीय पारी दोपहर 02:00 बजे होंगी।
4. प्रायोगिक परीक्षा सामग्री विद्यालयों द्वारा दिये गये वितरण केन्द्रों पर यथासमय प्रेषित कर सूचना बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी जिसे संबंधित विद्यालय प्रधान प्रदत्त पासवर्ड से Login कर प्राप्त कर लें।
5. स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं की सूचना यथासमय उनके आवेदित पते पर प्रेषित की जायेगी।


6. प्रायोगिक परीक्षाएँ निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित आयोजित होना अपेक्षित है। इस हेतु बोर्ड कार्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) में भी 15 जनवरी से 14 फरवरी 2020 तक तथा स्वयंपाठी प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 11 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रायोगिक परीक्षार्थ कन्ट्रोल रूम बनाये जाने प्रस्तावित है जिसमें दो कार्मिक लगाये जाएंगे। प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक एक पारी में संचालित रहेगा। कन्ट्रोल रूम में कार्यरत लिपिकों को रु. 100/- प्रतिदिन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रु. 50/- प्रतिदिन मानदेय देय होगा। जिसका मानदेय बिल प्रमाणिकरण के आधार पर कार्मिकों को भुगतान बोर्ड द्वारा देय होगा।
7. परीक्षाओं के सुसंचालन हेतु निरीक्षण दल/उडनदस्ते गठित किये जावेंगे। अतः गठित उडनदस्तों को वांछित सहयोग प्रदान करावें एवं समय-समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आप भी समय-समय पर प्रायोगिक परीक्षाओं का निरीक्षण करने का कष्ट करें।
8. नियत प्रक्रियानुसार सभी विद्यालयों, परीक्षकों द्वारा किस दिनांक को परीक्षा आयोजित की जायेगी इसकी सूचना बोर्ड के साथ-साथ आपको भी देंगे। अतः कार्यालय में इसका विधिवत रेकॉर्ड संधारित करवाने की व्यवस्था करें ताकि निरीक्षण के पूर्व ही निरीक्षण दल व उडनदस्तों को जानकारी दी जा सके।
9. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक द्वारा उसी विद्यालय में लिए जा रहे अन्य बैच के साथ शाला प्रधान की अनुमति से कराई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा स्थिति में परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा।
10. बोर्ड परीक्षा 2020 की उ.मा./वरि.उपा. परीक्षा के परीक्षार्थियों के नामांक एवं विवरण की नामावली (Nominal Roll) बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.nic.in पर अपलोड की जायेगी। संबंधित शालाप्रधान प्रदत्त पासवर्ड से Login कर जानकारी प्राप्त कर लें।
11. समस्त नियुक्त परीक्षक, परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना आवश्यक रूप से बोर्ड के नियन्त्रण कक्ष तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कन्ट्रोल रूम पर भी देंगे व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वहां न कर परीक्षा समाप्ति के तीन दिवस में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर अंकों के पर्ण/प्रतिपर्ण व उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल उन्हें आवंटित बैच की परीक्षा समाप्ति के 7 दिवस में निदेशक (गोपनीय) के नाम भिजवाएंगे। वर्ष-2020 की प्रायोगिक परीक्षा में नियुक्त परीक्षक अपना पारिश्रमिक बिल ऑनलाईन भर प्रेषित करेंगे।
12. गत वर्षों में यह देखा गया है कि अनेकों विद्यालयों, परीक्षकों आदि द्वारा परीक्षाओं के बाद अनेकों प्रकार की शिकायतें प्रेषित की जाती हैं जिससे यथोचित कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है एवं शिकायत के आधार ही प्रभाव में नहीं रहते हैं। अतः यदि विद्यालयों/परीक्षकों के विरुद्ध यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध आचरण/कार्यवाही की शिकायत है तो ऐसी शिकायत/सूचना विवरण सहित परीक्षा पूर्व/परीक्षा दौरान बोर्ड को फ़ैक्स से सूचित करें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं, शिकायतों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा एवं दुर्भावना वश शिकायत करना माना जावेगा।
13. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित वांछित जानकारी हेतु दिनांक 13.01.2020 से प्रायोगिक परीक्षा समाप्ति तक नियंत्रण कक्ष दूरभाष सं. 0145-2620739, 2623646 एवं Email-bserconf2018@gmail.com पर कार्यरत रहेगा।
14. उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा हेतु (ट्रेड विषय) ओ.एम.आर भी साथ भेजी गई है। इन ओ.एम.आर. को NSDC द्वारा नियुक्त परीक्षकों को यथा समय उपलब्ध करावाया जाना अपेक्षित है।

अतः आप कृपया प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित समस्त कार्यवाही करवाने का श्रम करें ताकि समयबद्ध सुचारु रूप से परीक्षाएँ सम्पन्न हो सके।

भवदीय,

 मुख्ख परीक्षा नियंत्रक/
 विशेषाधिकारी (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-6, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।


 निदेशक (गोपनीय)